जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–10/2024–25

सरकार

बनाम्

इमामुद्दिन अंसारी

–: आदेश :–

दिनांक 30/10/24

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–425/डी0सी0बी0 दिनांक–19.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने पोड़ैयाहाट थाना के अपराधकर्मी ईमामुद्दिन अंसारी, पे0–मो0 हारूण अंसारी, सा0–बांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी ईमामुद्दिन अंसारी, पे0–मो0 हारूण अंसारी, सा0–बांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है। वे जेल से छुटने के बाद थाना क्षेत्र में दहशत फैला हुआ है। इनके द्वारा कई छोटी–बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उन्होंने लूट/डकैती, चोरी एवं अन्य अपराधों से थाना क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। उनके द्वारा किये गये अपराध एवं असामाजिक तत्व होने का प्रमाणि करता है, जो निम्न प्रकार है :–

आपराधिक इतिहास :–

1. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–60/2023 दिनांक–01.04.2023 धारा–406/420 भा0द0वि0।
2. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–136/2018 दिनांक–18.07.2018 धारा–392 भा0द0वि0।
3. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–137/2018 दिनांक–19.07.2018 धारा–392 भा0द0वि0।
4. पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–115/2016 दिनांक–16.09.2016 धारा–392 भा0द0वि0।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर उक्त असामाजिक तत्व ईमामुद्दिन अंसारी, पे0–मो0 हारूण अंसारी, सा0–बांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा, को लोक हित में निगरानी रखने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। इससे स्पष्ट होता है विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ईमामुद्दिन अंसारी, पे0–मो0 हारूण अंसारी, सा0–बांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–60/2023 दिनांक–01.04.2023 धारा –406/420 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–136/2018 दिनांक –18.07.2018 धारा– 392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–137/2018 दिनांक–19.07.2018 धारा–392 भा0द0वि0, पोड़ैयाहाट थाना काण्ड सं0–115/2016 दिनांक–16.09.2016 धारा–392 भा0द0वि0 दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत ईमामुद्दिन अंसारी, पे0–मो0 हारूण अंसारी, सा0–बांसमुण्डी, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) श्री बिपीन कुमार यादव, थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट

मो0 नं0–9431134783 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाटको आदेश दिया जाता है कि वे ईमामुद्दिन अंसारी को प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक–30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

183
01/11/24

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।
30/11/24

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।
28/11/24

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:33:00 +05:30
Location: 192.168.1.9